कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 680 / FP/UK/ROAD/11204/2015 :देहरादूनःदिनांकः 6— सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः—जनपद टिहरी गढवाल में नाण्डी—सैलसेण—मठूरगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.8225 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/249/2015/ एफ0सी0/1614 दिनांक 28—12—2017।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः—

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा 900 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु मु0 9,00,000.00 धनराशि जमा की गयी है।
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा 6,95,013.00 एन0पी0वी0 धनराशि जमा की गयी है।
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने की दशा में बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विभाग द्वारा जारी प्रमाण—पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्न—1)
4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 15,95,013.00 जमा करने की ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—2)
5. शर्त संख्या—5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ—जहाँ सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में Strip Plantation किया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक—3)
6. शर्त संख्या—6 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्तावित मोटर मार्ग की डिजिटल मैप की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—4)

अतः उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या—680 / FP/UK/ROAD/11204/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर, मु0—कीर्तिनगर।

06/9/22
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी